

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-रामरतन सौकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 52/15

निर्णय दिनांक: 06-11-2019

1. दुर्गाराम पुत्र सादुराम जाति राईका निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

-अपीलांट-

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 18-08-1999
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-




1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 18-08-1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद बिन्दु पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-08-1999 के विरुद्ध अपील 26-05-2015 को पेश की है। जो करीब 16 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवेदित रकबा विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जावे।



5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-08-1999 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील दिनांक 26-05-2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।
- (2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 05 एनजीएम के मुर्ब्बा नम्बर 91/08 में 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर


पूगल के चक 5 एनजीएम के मुर्ब्बा नम्बर 91/08 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रकबा अविज्ञापित है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। यदि नोटिस जारी किया भी गया है तो उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ।

अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है। यदि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा अविज्ञापित था तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट का प्रार्थना पत्र ही स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तत्समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए धरोहर राशि रूपये 500/- खजानाराज में जमा करवाई गई जोकि आज दिनांक तक राजकोष में जमा है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा यदि अविज्ञापित भी था तो आवंटन अधिकारी को अन्य भूमि जोकि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित हो, उक्त भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था।



अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 215 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धरोहर राशि रूपये 500/- भी तत्समय खजानाराज में जमा करवाई गई। उक्त प्रार्थना पर आवंटन अधिकारी द्वारा जाँच के उपरान्त आवेदित भूमि अविज्ञाप्ति होने के आधार पर दिनांक 18-08-1999 को निरस्त कर दिया गया।

(3) इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांत/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 5 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 91/08 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा धरोहर राशि रूपये 500/- भी खजानाराज में जमा करवाई गई थी। परन्तु जहाँ तक वादग्रस्त भूमि अपीलांत को आवंटित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलांत द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा राजपत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे साबित होता हो कि अपीलांत द्वारा आवेदित रकबा विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित हो तथा उक्त रकबा अपीलांत को बतौर विशेष आवंटन किया जा सकता हो।



उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत स्वयं ने राजपत्र में अविज्ञापित एवं विशेष आवंटन हेतु अनारक्षित भूमि चक 5 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 91/08 के विशेष आवंटन की मांग अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से की गई थी, ऐसी स्थिति अपीलांत स्वयं द्वारा कारित की गई भूल का खामियाजा आवंटन अधिकारी नहीं दे सकता है। विशेष आवंटन के तहत उसी भूमि का आवंटन किया जा सकता है जोकि राजपत्र में विशेष आवंटन हेतु प्रकाशित हो। अन्य श्रेणी की भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन किये जाने का प्रावधान आवंटन नियमों में निहित नहीं है।

(4) प्रकरण में अपीलांत का कथन कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांत को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अपीलांत द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त आवंटन

NDL
राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

अधिकारी द्वारा इस तथ्य की जाँच की गई कि क्या वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन हेतु विज्ञापित है अथवा नहीं? उक्त तथ्य की जाँच पर यह पाये जाने पर कि आवेदित रकबा अविज्ञापित है, आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांत का आवेदन भूमि अविज्ञापित होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति की राय से विधि सम्मत रूप से खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लिहजा विद्वान अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मामलें पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते है।



अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु बीकानेर का आदेश दिनांक 18-08-1999 बहाल रखा जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06-11-201 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन चौकिसिया)
राजस्थान अपील अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

